न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-104/2022

राज्य

बनाम्

रविशंकर कुमार वगैरह

–: आदेश :–

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 2251/अप0शा0 दिनांक 14.10.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–73/2022 दिनांक–18.04.2022 से संबंधित है।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि पु0अ0नि0 प्रशांत प्रसाद, थाना प्रभारी बालूमाथ थाना के स्वलिखित बयान में कहा गया है कि दिनांक 18.04.2022 को रात्रि समय करीब 01:30 बजे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि मगध कोलयरी के कुन्डी से चोरी का अवैध कोयला लदा हुआ कई ट्रक बालूमाथ होकर अन्य शहरों में बिक्री के लिए जाने वाला है। इस आशय का सन्हा संख्या–05/2022 दिनांक 18.04.2022 दर्ज कर उक्त सन्हा का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा द्वारा श्री अजित कुमार, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बालूमाथ के नेतृत्व में एक टीम गठित कर समय करीब 03:10 बजे रात्रि मगध कोलियरी के ग्राम आरा स्थित 09 नं0 बैरियर के पास पहुचे जहां पर पहले से ही सी0सी0एल0 के सहायक सुरक्षा अवर निरीक्षक सुर्यदेव रविदास डयूटी पर उपस्थित थे को भी छापामारी दल में शामिल किया गया तथा वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए कुन्डी के तरफ से आने वाले कोयला लदे ट्रकों का जांच करना शुरू किया गया। समय करीब 03:50 बजे एक साथ

कुन्डी के तरफ से कई ट्रक आता देख सशस्त्र बल के सहयोग से टार्च की रौशनी जलाकर उक्त ट्रकों को रोकने का इशारा करने पर ट्रक चालक पुलिस को देखकर कुछ दूर पहले ही ट्रक को खड़ा कर भागने लगे तत्पश्चात सशस्त्र बल के सहयोग से भाग रहे ट्रक चालकों को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन रात्री एवं अंधेरा तथा झाड़ी का लाभ उठाकर सभी ट्रक चालक भागने में सफल रहे। तत्पश्चात् सशस्त्र बल के सहयोग से एक-एक कर सभी बारह चक्का ट्रकों का जांच करने पर पाया गया कि 1. ट्रक रजि0 नं0-NL01K-2883, चेसीस नं0-MAT466385B3P37751 में लदा कोयला करीब 24 टन 2. ट्रक रजि0 नं0-JH02AD-2641, चेसीस नं0-MAT466388E3F13403 में लदा कोयला करीब 24 टन 3. ट्रक रजि0 नं0-NL01AB-3220, चेसीस नं0-MAT466399H5N18547 में लदा कोयला करीब 24 टन 4. ट्रक रजि0 नं0-JH02U-4641, चेसीस नं0-MAT466377B3R31650 में लदा कोयला करीब 24 टन, 5. ट्रक रजि0 नं0-JH02AB-9118, चेसीस नं0-MAT466420E3B04094 में लदा कोयला करीब 24 टन, 6. ट्रक रजि0 नं0-JH19A-5329, चेसीस नं0-MAT466388D3G15981 में लदा कोयला करीब 24 टन एवं 7. ट्रक रजि0 नं0-JH19B-4040, चेसीस नं0-MAT466395G1F16438 में करीब 24 टन कोयला लदा हुआ है। काफी समय इंतजार करने के बाद कोई भी व्यक्ति ट्रकों की खोजबिन करने नहीं आया। तत्पश्चात विधिवत जप्ती सूची बनाकर उक्त सभी आठ ट्रक को सुरक्षार्थ अमरवाडीह पिकेट में रखा गया। चोरी कर कोयले का अवैध भण्डारण, परिवहन कर व्यापार करना एवं खरीद-बिक्री करना एक संज्ञेय अपराध है। प्राथमिकी, घटनास्थल के निरीक्षण, वादी एवं साक्षियों के बयान, जप्ती सूची, अबतक के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में मामला सत्य पाया गया। जप्त वाहनों के विरूद्ध राजसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया।

विपक्षी गिरेन्द्र यादव, पिता-असरफी यादव, ग्राम-ताल गोपालडीह, थाना-पांकी, जिला-पलामू के अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी का ट्रक रजि0 नं0-JH19A-5329, चेसीस नं0-MAT466388D3G15981 के विरूद्ध राजसात की कार्यवाही प्रारंभ किया गया है। पु0अ0नि0 प्रशांत प्रसाद, थाना प्रभारी बालूमाथ थाना के सूचना पर बालुमाथ थाना काण्ड संख्या-73/2022

दर्ज किया गया है, जो झूठ का पुलिंदा है और इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। यह केवल विपक्षी को परेशान करने के लिए किया गया है। यह कनून की नजर में बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि एम0एम0डी0आर0 अधिनियम की धारा-22 के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है और मुखबिर मामला दर्ज करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है। एम0एम0डी0आर0 की धारा-22 में उल्लेखित है कि Congnizance of offences - No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or any rules made thereunder except upon complaint in writing made by a person authorised in this behalf by the Central Government or the State Government. यह सुस्थापित कानून है कि किसी भी चीज की शुरूआत गलत है तो बाद की कार्रवाई भी गलत है। Jharkhand Minor Mineral Concession Amendment Rule 2017 की धारा 54(5) में निहित प्रावधान के तहत विपक्षी खनिज की दोगुना राशि भुगतान करने को तैयार है। अतः विपक्षी के वाहन मुक्त किया जाय।

विपक्षी रविशंकर कुमार पिता-बिनोद प्रसाद साव ग्राम-शिवराजपुर, कामता, थाना-चतरा, जिला-चतरा के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी का ट्रक रजि0 नं0-JH02AD-2641 चेसीस नं0-MAT466388E3F13403 के विरूद्ध राजसात की कार्यवाही प्रारंभ किया गया है। पु0अ0नि0 प्रशांत प्रसाद, थाना प्रभारी बालूमाथ थाना के सूचना पर बालुमाथ थाना काण्ड संख्या-73/2022 दर्ज किया गया है, जो झूठ का पुलिंदा है और इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। यह केवल विपक्षी को परेशान करने के लिए किया गया है। यह कनून की नजर में बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि एम0एम0डी0आर0 अधिनियम की धारा-22 के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है और मुखबिर मामला दर्ज करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है। एम0एम0डी0आर0 की धारा-22 में उल्लेखित है कि Congnizance of offences - No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or any rules made thereunder except upon complaint in writing made by a person authorised in this behalf by the Central Government or the State Government. यह सुस्थापित कानून है कि किसी भी चीज की शुरूआत गलत है तो बाद की कार्रवाई भी गलत है। Jharkhand Minor Mineral Concession

Amendment Rule 2017 की धारा 54 (5) में निहित प्रावधान के तहत विपक्षी खनिज की दोगुना राशि भुगतान करने को तैयार है। अतः विपक्षी के वाहन मुक्त किया जाय।

विपक्षी रितेश कुमार यादव पिता–विश्वनाथ यादव ग्राम–पल्हेयाखुर्द थाना–मनिका, जिला–लातेहारा के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी का ट्रक रजि0 नं0–JH19B-4040 चेसीस नं0–MAT466395G1F16438 के विरूद्ध राजसात की कार्यवाही प्रारंभ किया गया है। पु0अ0नि0 प्रशांत प्रसाद, थाना प्रभारी बालूमाथ थाना के सूचना पर बालुमाथ थाना काण्ड संख्या–73/2022 दर्ज किया गया है, जो झूठ का पुलिंदा है और इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। यह केवल विपक्षी को परेशान करने के लिए किया गया है। यह कनून की नजर में बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि एम0एम0डी0आर0 अधिनियम की धारा–22 के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है और मुखबिर मामला दर्ज करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है। एम0एम0डी0आर0 की धारा–22 में उल्लेखित है कि Congnizance of offences - No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or any rules made thereunder except upon complaint in writing made by a person authorised in this behalf by the Central Government or the State Government. यह सुस्थापित कानून है कि किसी भी चीज की शुरूआत गलत है तो बाद की कार्रवाई भी गलत है। Jharkhand Minor Mineral Concession Amendment Rule 2017 की धारा 54(5) में निहित प्रावधान के तहत विपक्षी खनिज की दोगुना राशि भुगतान करने को तैयार है। अतः विपक्षी के वाहन मुक्त किया जाय।

उपरोक्त वाद में शेष विपक्षी ट्रक रजि0 नं0–JH02U-4641, ट्रक रजि0 नं0–JH02AB-9118, ट्रक रजि0 नं0–NL01AB-3220 एवं ट्रक रजि0 नं0–NL01K-2883 के वाहन स्वामियों को पक्ष रखने के लिए बार–बार नोटिस निर्गत कर निबंधित डाक से उनके पते पर भेजा गया तथा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। ट्रक रजि0 नं0–JH02U-4641, ट्रक रजि0 नं0–JH02AB-9118, ट्रक रजि0 नं0–NL01AB-3220 एवं ट्रक रजि0 नं0– NL01K-2883 के वाहन मालिक द्वारा न्यायालय में

उपस्थित होकर पक्ष रखने में अभिरुची नहीं लिया गया। फलस्वरूप वाद में इनको को एकपक्षीय करते हुए राज्य की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वाद की सुनवाई की गयी।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(v) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." एवं नियम 9 (i) में उल्लेखित है कि No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS.

बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–73/2022 दिनांक 18.04.2022 में जप्त ट्रकों पर लदे कोयला से संबंधित कोई भी वैध कागजात विपक्षीगण के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि 1. ट्रक रजि0 नं0–NL01K-2883 2. ट्रक रजि0 नं0–JH02AD-2641, 3. ट्रक रजि0 नं0–NL01AB-3220, 4. ट्रक रजि0 नं0–JH02U-4641, 5. ट्रक रजि0 नं0–JH02AB-9118, 6. ट्रक रजि0 नं0–JH19A-5329 एवं 7. ट्रक रजि0 नं0–JH19B-4040 के द्वारा अवैध कोयला का परिवहन किया गया है। अतः 1. ट्रक रजि0 नं0–NL01K-2883 2. ट्रक रजि0 नं0–JH02AD-2641, 3. ट्रक रजि0 नं0–NL01AB-3220, 4. ट्रक रजि0 नं0–JH02U-4641, 5. ट्रक रजि0 नं0–JH02AB-9118, 6. ट्रक रजि0 नं0–JH19A-5329 एवं 7. ट्रक रजि0 नं0–JH19B-4040 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहनों के निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन

पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, लोक अभियोजक, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.05.29 14:11:30 +05:30
Location: 10.93.47.5